अज अदालत उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सुखदेव सिंह आदि **बनाम** जगदीप सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए आरटीए नम्बर 21 सन 2019

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2019/00192

ेल ंम

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2024

अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए पर मजीद बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व ग्राम 33 एच के मुरब्बा नम्बर 48 व मुरब्बा नम्बर 36 प्रत्येक के किला नम्बर 25, 24, 23, 22, 21 में से 2-2 बिस्वा रास्ते की मांग की गई है। तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 33 एच के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 21 ता 25 में नहर स्वीकृत है नहर की सीमा में मौके पर रास्ता चल रहा है। रास्ते में कोई व्यवधान नहीं है व मुरब्बा नम्बर 35, 36 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता मौके पर चल रहा है, मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 21 ता 25 में डेढ-डेढ बिस्वा रास्ता स्वीकृत है व मुरब्बा नम्बर 35 के किला नम्बर 24 का कुछ हिस्सा व किला नम्बर 25 में मकान बना हुआ है। मौके पर खाले कि भूमि व स्वीकृतशुदा रास्ते में से 14.50 फीट लगभग रास्ता चल रहा है। जिसमें कोई व्यवधान नहीं है। लिहाजा राजस्व ग्राम 33 एच के मुरब्बा नम्बर 48 के किला नम्बर 21 ता 25 में स्वीकृतशुदा नहर की सीमा के साथ-साथ मौके पर रास्ता चल रहा है तथा मुरब्बा नम्बर 35, 36 के किला नम्बर 21 ता 25 में रास्ता मौके पर चल रहा है। कोई व्यवधान नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 251ए आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित नहीं होने एवं सारहीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर